झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–379 / 2019

केदार नाथ मिश्रा, पे0 स्वर्गीय संत कुमार मिश्रा, जिन्जीरा, डाकघर–टोलरा, थाना–रेहला, जिला–गढ़वा ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य ..... विपक्षी पार्टी

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री वी0के0 सिंह, जी0ए0–II के ए0सी0

03 / 14.02.2020 रिट याचिका को रिट याचिकाओं के एक समूह में रिट अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया था, जिसके द्वारा याचियों को निर्धारित समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 07.08.2018 और दिनांक 28.08.2018 को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के बैच को सूचीबद्ध किया गया था और न्यायालय द्वारा एक सामान्य आदेश पारित किया गया था।

श्री अजीत कुमार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनजाने में याचिकाकर्ता का वकील मामले को उस समय चिन्हित नहीं कर सका जब यह

न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित अनुल्लंघनीय आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री वी0के0 सिंह द्वारा इसे विवादित नहीं किया गया है कि रिट याचिकाओं के एक समूह में एक समान अनुल्लंघनीय आदेश पारित किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों में, सी0एम0पी0 संख्या 379/2019 की अनुमति दी गई है।

इसलिए डब्ल्यू0पी0 (एस0) सयंख्या 6930/2017 को इसकी मूल फाइल में बहाल कर दिया गया है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)